राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

एफ 16(16)(1)/परि/लेखा/राजस्व लक्ष्य/2015–16 | 12908 जयपुर, दिनांक 10-7-2015

कार्यालय आदेश क्रमांक 21 /2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए संशोधित राजस्व लक्ष्यों का जिलेवार वितरण।

विषयान्तर्गत समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 6630 दिनांक 23.04.2015 द्वारा वर्ष 2015–16 के राजस्व लक्ष्य माहवार प्राप्ति हेतु निर्धारित कर आवंटित किये गये थे। माह अप्रैल से जून 2015 तक प्राप्त राजस्व लक्ष्यों की समीक्षा उपरान्त वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से 3 माह के बैकलॉग को आगामी 9 माह में संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित तालिकानुसार रु. 2889.27 करोड़ के संशोधित राजस्व लक्ष्य जुलाई से मार्च 2016 तक के वितरित किये जाते है। राजस्व लक्ष्यों की नियमित उपलब्धि के लिए सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा समयबद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व अर्जन की मासिक समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। अतः सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके लिए निर्धारित संशोधित मासिक राजस्व लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति निश्चित रूप से की जावे।

राजस्व प्राप्ति के अंक मिलान का कार्य समय पर करवाया जाकर कोषाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र माह की 20 तारीख तक जी.ए. 13 (निर्धारित प्रारूप मे बजट मदवार) के साथ वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) को नियमित रूप से भिजवाये जावे। ऐसे जिला परिवहन अधिकारी जिनके मुख्यालय पर स्वतन्त्र कोषागार नहीं है, वे अपनी राजस्व आय का प्रमाणीकरण सम्बन्धित उप कोषाधिकारी से कराकर भेजें तथा उसकी प्रति सम्बन्धित कोषागार एवम् जिला मुख्यालय के सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी को भिजवायें तथा यह सुनिश्चित करें कि दोनों की कुल राजस्व आय कोषाधिकारी के यहां दर्ज आय के अनुरूप हो।

प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा माह के प्रथम कार्यदिवस को विगत माह में रीजन में अर्जित राजस्व की जिलेवार सूचना फैक्स द्वारा मुख्यालय को भिजवाई जावे तथा प्रत्येक माह अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा राजस्व संग्रहण का विवरण वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को प्रेषित किया जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः– 12909-14 दिनांक 10-7-2015

1. विशिष्ठ सहायक माननीय परिवहन मंत्री महोदय राज. सरकार
2. विशिष्ठ सहायक माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय राज. सरकार
3. निजी सचिव शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त
4. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण..............................
5. समस्त अति. परिवहन आयुक्त जोन/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी........................
6. समस्त जिला परिवहन अधिकारी................................

10/7/15

वित्तीय सलाहकार

D:\REVENUE\2015-16 Revenue\revlett2015-16.docx